

— सूचना —

संस्था में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े (Economically Backward Class Student-EBC) वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025-26 में छात्रवृत्ति के नवीन आवेदनों (Fresh Registration) के पंजीकरण एवं विगत शैक्षणिक वर्ष में आवेदन कर चुके छात्र/छात्राओं के आवेदनों के नवीनीकरण(Renewal) हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल <https://scholarships.gov.in> को दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक खोला गया है।

आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निम्न विवरणानुसार मान्य होगी।

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति | — अधिकतम रुपये 250000 /— |
| 2. अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) | — अधिकतम रुपये 250000 /— |
| 3. आर्थिक रूप से पिछड़े | — अधिकतम रुपये 250000 /— |

(Economically Backward Class Student-EBC)

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्य प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता होगी —

1. संस्था शुल्क जमा पर्ची।
2. नवीनतम आय प्रमाण पत्र
3. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
4. जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST/OBC हेतु)।
5. हाईस्कूल की अंक तालिका की छायाप्रति।
6. संस्था द्वारा निर्गत बोनाफाईड प्रमाण पत्र।
7. अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट।
8. आधार से जुड़े किसी भी सीबीएस बैंक की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें छात्र/छात्रा का नाम, पता, बैंक एकाउण्ट संख्या तथा आईएफएससी स्पष्ट रूप से दर्ज हो।
9. नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
10. ओबीसी छात्र/छात्राओं हेतु काउंसलिंग सर्टिफिकेट।
11. आधार कार्ड की छायाप्रति।

अतः समस्त पात्र छात्र/छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त, ऑनलाइन SUBMIT किये गये आवेदन पत्र का 01 प्रिन्ट आउट निकालकर, उस पर हस्ताक्षर कर एवं नियत स्थान पर पासपोर्ट साइज की अपनी नवीनतम फोटो चस्पा कर उसे उपरोक्तानुसार सभी अभिलेखों की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ कार्यालय में 10 सितम्बर 2025 तक सुश्री आरती बिष्ट, छात्र लिपिक के पास जमा करना सुनिश्चित करें।

(धर्मेन्द्र प्रकाश)
प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक लोहाघाट (चम्पावत)

पत्रांक: 666-68 / स्कॉलरशिप / सूचना / 2025-26

दिनांक 01 अगस्त 2025

1. सूचनापट्ट संस्थागत।
2. वेबसाइट में अपलोड हेतु।
3. समस्त कक्षाओं तथा विभागाध्यक्षों/प्रभारियों में चकीकरण हेतु।

(धर्मेन्द्र प्रकाश)
प्रधानाचार्य